

● NATIONAL WIND- Projects to cre

VIKAS SRIVASTAVA
Mumbai, May 26

THE RECENTLY UNVEILED National Wind-Solar Hybrid Policy will help the country meet the target of 175 Gw renewable energy capacity by 2022 (up from 69 Gw now), by cutting generation costs by a quarter, analysts said.

The cost reduction would be enabled by nearly doubling the generation at a nominal cost, thanks to reduced variability of output through optimal utilisation of assets, where wind turbines and solar systems will be configured at the same grid connection points.

Industry experts believe with the same evacuation infrastructure — transmission lines and substations — developers can set up additional wind and solar sites at the



same location to generate this average place. Ideally, it has generated state like the investment in solar capacity on the same site.

Angel investors in start-ups get I-T exemption

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 26

THE TAX DEPARTMENT on Saturday exempted angel investors from income tax on their investments in start-ups with effect from April 11.

The tax concessions are subject to certain conditions laid down by the Department of Industrial Policy and Promotion last month, which said that the share capital and share premium of the start-up should not exceed ₹10 crore after such investments.

Also, the angel investor who plans to subscribe the shares in the start-up will have to fulfil prescribed criteria and the start-up will have to procure a report from a merchant banker, specifying the fair market value of the shares in accordance with income tax rules.

The department, on May 24, issued a notification, superseding its June 2016 notification.

ITR forms released for e-filing

The I-T department also launched and activated all the seven ITR forms for e-filing by taxpayers, after more than a

ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063

Regd. Office: Sohan Nagar, P O Charubeta Khatima - 262308,

Distt. Udham Singh Nagar Uttarakhand

Phone: (05943) 250153-57 Fax: (05943) 250158

Website: www.esterindustries.com Email: investor@ester.in

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

Notice is hereby given pursuant to the provision of Section 124, 125 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules").

In terms of provisions of the Act and the IEPF Rules, all dividend which remains unpaid/unclaimed for a period of 7 consecutive years is required to be transferred by the Company to IEPF, established by the Central Government and all underlying shares in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for 7 consecutive years also needs to be transferred to Demat account of IEPF Authority along with such unpaid dividend.

The Company has sent communication to all the concerned shareholders who have not claimed any dividend during last 7 years i.e. from financial year 2010-11 onwards at the latest available address, advising them to claim dividend before the due date i.e. 31st August, 2018.

In case the Company does not receive necessary documents required for claiming unpaid dividend from the concerned shareholder before the due date i.e. 31st August, 2018, the Company shall, in order to comply with the requirements of the Act and IEPF Rules, transfer the shares to the Demat Account of IEPF Authority after 31st August, 2018, as per the procedure set out in the IEPF Rules without any further notice to the shareholders. The Shareholders may note that once the dividend and their corresponding shares are credited to the Demat Account of IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect thereof pursuant to the Act and IEPF Rules.

The Company has also uploaded complete details of such shareholder(s) and shares due to be transferred to the IEPF Authority on its website www.esterindustries.com. Shareholders are requested to refer to company website www.esterindustries.com to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in Demat Form, to the extent of shares liable to be transferred shall stand debited from the shareholders account.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by making an application in form IEPF-5 online at www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the form along with the required supporting documents, specified in the said form IEPF 5 to the Company/ RTA for verification of your claims.

For any queries on the aforesaid subject the shareholders are requested to contact the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent with a request giving necessary details (i.e. Folio no, DP-ID & client ID no. (if any), current address and contact numbers & details of Non-receipt of the Dividend Warrant etc.) at the earliest at the following addresses: Ester Industries Limited Plot No. 11, Block-A, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon-122001, Tel No: 0124-4572100, Fax No: 0124-4572199, Email: investor@ester.in, Website: www.esterindustries.com or M/s MAS Services Limited, Unit: Ester Industries Limited, T-34, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, Tel: 011-26387281 Fax: 011-26387384, Email: info@masserv.com, Website: www.masserv.com

For Ester Industries Limited

Sd/-

Diwaker Dinesh

Company Secretary

Membership No. A22282

Place: Gurgaon
Date: 26th May, 2018

AVANTI
FEEDS LIMITED
In the business of quality Prawn feed and Prawn Exports

CIN : L16001AP1993PLC095778, Website : www.avantifeeds.com

Email : avantitho@avantifeeds.com, Tel: 040-23310260/261, Fax: 040-23311604

1. EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended March 31, 2018	Year Ended March 31, 2018	Quarter Ended March 31, 2017	Year Ended March 31, 2017
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	83,427.76	339,290.31	67,161.24	261,574.40
Net Profit / (Loss) for the period (before tax & exceptional items)	12,522.63	70,529.18	13,137.55	33,667.48
Net profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	12,443.75	70,450.30	13,137.55	33,673.65
Net profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	8,600.19	46,647.94	8,873.55	22,630.42
Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	8,275.93	44,524.91	8,561.95	21,540.14
Equity Share Capital	908.30	908.30	908.30	908.30
Reserves (excluding Revaluation Reserves)				

निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

नज़रिया खबर ब्यूरो
देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए. मुरुगेशन ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों की मतदाता सूचियों/ निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी किया गया। शासन द्वारा विस्तृत कार्यक्रम के दौरान पुनः निकायों के विस्तारीकरण तथा परिसीमन का कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 16.01.2018 के द्वारा पुनः कार्यक्रम निर्गत किया गया और जिसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 19.03.2018 को कर दिया गया।तत्पश्चात् नगर निकायों के विस्तारीकरण/परिसीमन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं पर दिये गये आदेश के समादर में शासन द्वारा 23 निकायों के परिसीमन के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त कर उनकी सुनवाई के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन ने अधिसूचना 23.04.2018 द्वारा नगर निगम काशीपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी-काठगोदम, देहरादून, ऋषिकेश एवं कोटद्वार के कक्षों का अन्तिम परिसीमन आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अवगत कराया है कि शासन द्वारा पुनः निकायों के पुनःपरिसीमन किये जाने के उपरान्त अधिसूचित प्रादेशिक निर्वाचन

क्षेत्रों की सीमाओं में व्यापक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उक्तानुसार नागर निकायों की कक्षवार निर्वाचक नामावलियों को व्यवस्थित करने एवं पुनरीक्षण कर अद्यतन किये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण निम्न कार्यक्रमानुयसार कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नोडल अधिकारी अपने से सम्बन्धित नागर निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त कार्यक्रम का समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे तथा सभी सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टो पर भी सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह कार्यक्रम प्रकाशित करेंगे। पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की सन्दर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित करते हुए जनपद के नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे, जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। उक्त पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

राजधानी में शुरू हुई 14वीं कुरआन लेख कला दर्पण प्रदर्शनी

नज़रिया खबर ब्यूरो
देहरादून। तस्मिया ऑल इंडिया एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 2-ए, टर्नर रोड क्लेमेन्ट टाउन पर आयोजित दो-दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि वित एवं आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने किया। प्रदर्शनी की शुरुआत क़ारी शमसाद ने पवित्र कुरआन की तिलावत से की। इस अवसर पर ब्रिगेडियर के0 जी0 बहल, डा0 अरूण कुमार तथा अन्य गणमान व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रकाश पंत ने बताया कि ये अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी मैं ने देखी है। ये अन्मोल है। कुरआन सच्चा मार्गदर्शक है तथा भाईचारे का संदेश देता है। राजधानी में शनिवार से शुरू हुई 'पवित्र कुरआन लेख कला के दर्पण' में प्रदर्शनी का उद्देश्य यह है कि गैर मुस्लिम भी जान सकें कि कुरआन का पैगाम क्या है। जात-बिरादरी जैसी संकीर्णताओं के लिये इंसानियत के बीच कोई जगह नहीं है।प्रदर्शनी में एक सफे (पेज) से लेकर 1269 सफे (पेज) तक का पवित्र कुरआन, दो ग्राम का कुरआन, 60 पेज वाला लकड़ी का कुरआन जिस के एक पेज का वज़न चार कि०ग्रा० से अधिक है

वनाग्नि की घटनाओं की जांच हो:

देहरादून। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्रों में निरंतर तेजी से भड़कती आग पर चिंता व दुख व्यक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश संचालन समिति के अध्यक्ष नवीन पिरशाली ने कहा कि उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगने की बढ़ती घटनाओं के पीछे के कारणों को जांच होनी आवश्यक है। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि क्या ये आग अपने आप लग

रही है या ये लगाई जा रही है? कहीं ये आग सरकार, वन विभाग और जंगल माफियाओं के बीच किसी घोटाले की कड़ी तो नहीं है? पिरशाली ने कहा कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के समृद्ध जंगलों में भड़की आग बहुत चिंतनीय व दुखदायी है। समय के साथ-साथ ये दानावल विकराल रूप धारण करता हुआ वनक्षेत्र के निकट रहने वाले क्षेत्रवासियों के जन-जीवन को भी खतरे में डाल रहा

कांग्रेस ने केन्द्र के खिलाफ मनाया विश्वासघात दिवस

नज़रिया खबर ब्यूरो
देहरादून। केन्द्र सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर जहां भाजपा जश्न मना रही है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चार साल तक जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिवस मनाकर केन्द्र की मोदी सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर धरना दिया। कहा कि केन्द्र सरकार के चार साल निराशाजनक रहा है। वक्ताओं का कहना है कि केन्द्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा जायेगा।यहां बड़ी संख्या में कांग्रेसजन पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल एवं हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और वहां पर उन्होंने कांग्रेसजनों ने चार साल तक जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिवस मनाकर केन्द्र की मोदी सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर धरना दिया और कहा कि केन्द्र सरकार के चार साल निराशाजनक रहा है। वक्ताओं का कहना है कि केन्द्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा जायेगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार का चार साल का कार्यकाल एवम राज्य की सरकार का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा । उनका कहना है कि भाजपा की केंद्र एवम राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही । उनका कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ने सत्ता हथियाई उनकी अनदेखी हुई है ।वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के नकरोपन



से आज आम जन अपने को ठगा महसूस कर रहा है और सरकार की और टकटकी लगाए हुए है और भाजपा सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त होकर जश्न मना रही है। उनका कहना है कि आज महंगाई चरम पर और इसे नियंत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नीति केन्द्र व प्रदेश सरकार नहीं बना पाई है।वक्ताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार लोक लुभावन वादे महंगाई, पेट्रोल, डीजल के दाम, काला धन, आतंकवाद जैसे ज्वलनशील मुद्दों जिसके बल पर सत्तासीन हुए मोदी की छप्पन इंच की छाती है ।

पदार्थों के दामों में वृद्धि से महंगाई चरम पर है । उनका कहना है कि बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों व महंगाई को मुख्य मुद्दा बना कर सत्ता में आयी भाजपा अब इन्ही ज्वलन्त मुद्दों की अनदेखी कर रही है । तेल की कम्पनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । उनका कहना है कि पिछले बारह दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अब तक के सबसे ऊंचे मूल्य पर पहुंच गए हैं। वक्ताओं का कहना है कि खाद्य पदार्थों के दामों में निरन्तर वृद्धि से आम जन खास कर महिलाये परेशान है ।

थराली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की विजय निश्चित: अजय भट्ट

देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि थराली विधानसभा उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगी। थराली विधानसभा क्षेत्र में सघन चुनाव प्रचार के बाद लौटे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि थराली विधानसभा उप चुनाव में जनता भाजपा के साथ है। थराली का मतदाता जहाँ एक ओर केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किये जा रहे कार्यों और योजनाओं को लेकर उत्साहित है वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सवा वर्ष में किये गये कार्यों के प्रति भी संतुष्ट है और उज्ज्वल भविष्य देख रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने और जनता से सीधे संवाद से उन्हें पूरा विश्वास है कि थराली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मुन्नी देवी भारी मतों से जीतेंगी।

ESTER INDUSTRIES LTD.
CIN: L24111UR1985PLC015063
पंजीकृत कार्यालय: सारुन नगर, पी.ओ. चारुबेटा, खटीमा-262308,
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड
फोन: (05943) 250153-57 फैक्स: (05943) 250158
वेबसाइट: www.esterindustries.com ईमेल: investor@ester.in

इक्विटी शेयरधारकों के लिए सूचना
विषय: विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों का अंतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124, 125 एवं अन्य लागू प्रावधानों और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है।

अधिनियम के प्रावधानों और आईईपीएफ नियमों के संदर्भ में, सभी लामांश जो निरंतर 7 वर्षों की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत है, उसे कम्पनी द्वारा आईईपीएफ, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, के पास अंतरित किया जाना है और सभी अंतर्निहित शेयर जिन पर निरंतर 7 वर्षों से लामांश अप्रदत्त/अदावाकृत है, उन्हें भी ऐसे अप्रदत्त लामांश के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किया जाना है।

कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को उनके नवीनतम पते पर सूचना भेज दी है जिन्होंने पिछले 7 वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2010-11 से आगे लामांश का दावा नहीं किया है और सूचना में उन्हें देय तिथि अर्थात् 31 अगस्त 2018 तक लामांश का दावा करने की सलाह दी गई है।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से देय तिथि अर्थात् 31 अगस्त, 2018 तक अप्रदत्त लामांश के दावे के संबंध में जरूरी दस्तावेज प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी अधिनियम एवं आईईपीएफ नियमों की आवश्यकताओं का पालन करते हुए आगे शेयरधारकों को बिना कोई और सूचना दिये आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर 31 अगस्त, 2018 के बाद ऐसे सभी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अंतरित कर देगी। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एक बार लामांश एवं उनके संगत शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित होने के बाद इस संबंध में अधिनियम एवं आईईपीएफ नियमों के अनुसरण में कम्पनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारक और आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के लिए देय शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.esterindustries.com पर भी अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अदावाकृत लामांश एवं शेयरों के विवरणों की जांच के लिए कम्पनी की वेबसाइट www.esterindustries.com देखें।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं, इस बात पर ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयर अंतरण के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्री) जो उनके नाम पर पंजीकृत है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और यह गैर-विनिमय माना जाएंगे। यदि शेयर डिमेट प्रारूप में हैं तो अंतरित किए जाने वाले शेयरों की सीमा के अनुसार शेयर शेयरधारक के खाते से डेबिट कर दिये जाएंगे।

शेयरधारक इस बात को भी नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया गया अदावाकृत लामांश एवं संगत शेयर दोनों पर सभी शेयरों पर उपाजित लाभ, यदि कोई हो, के लिए www.iepf.gov.in पर ऑनलाइन आईईपीएफ-5 फार्म में आवेदन करके आईईपीएफ प्राधिकरण के पास इस संबंध में दावा किया जा सकता है और अपने दावे के सत्यापन के लिए आईईपीएफ 5 फार्म में विनिर्देशित अपेक्षित सभी सहायक दस्तावेजों के साथ फार्म की भौतिक प्रति कम्पनी/आरटीए को भेज सकते हैं।

उपरोक्त संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक विवरणों (जैसे फोलियो नं., डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी नं. (यदि कोई हो), वर्तमान पता एवं सम्पर्क विवरण तथा लामांश वारंट आदि के गैर-प्राप्ति के विवरण) के साथ अनुरोध करते हुए कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट के पास निम्नलिखित पते **ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**, प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ए, इंफोसिटी-1, सेक्टर-34, गुडगांव-122001, फोन नं. 0124-4572100, फैक्स नं. 0124-4572199, ई-मेल: investor@ester.in, वेबसाइट: www.esterindustries.com या **मैसर्स एमएस सर्विसेज लिमिटेड**, यूनिट: ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टी-34, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020, फोन : 011-26387281 फैक्स: 011-26387384, ई-मेल: info@masserv.com, वेबसाइट: www.masserv.com पर सम्पर्क करें।

कृते **ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता./-
दिवाकर दिनेश
कम्पनी सचिव
सदस्यता नं०. ए22282

स्थान: गुडगांव
दिनांक: 26 मई, 2018